प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौवालीस'

[30/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 7853]

प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट-

वि.स.प्र.क्र.- 7853 (अतारांकित)

दि.- 23.03.2017 , प्रश्नकर्ता:- श्री महेश राय

(1)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन-छटवी मंजिल, भोपाल
मध्यप्रदेश
दूरभाष क्र. कार्यालय 0755-2571694
ई-मेल drbsohri@yahoo.in एवं dr.ohri@mp.gov.in

क्र./औ.प्र./2012/.....689

भोपाल/दिनांक 26/12/12

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः-दीनदयाल अन्त्योदय योजना के हितग्राहियों, पेंशनरों, शासकीय कर्मचारियों को दवायें उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2012 से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना प्रारंभ की गई है! शासकीय चिकित्सालय में आने वाले प्रत्येक रोगी को निरंतर दवायें उपलब्ध कराना आपका दायित्व हैं। यह देखने में आया है कि चिकित्सालयों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना के हितग्राहियों, पेंशनरों, शासकीय कर्मचारियों को दवायें उपलब्ध कराने में स्पष्टता का अभाव है। अतः दवायें उपलब्ध कराये जाने में निम्न निर्देशों का पालन किया जावें:-

1. सामान्यतः 90-95 प्रतिशत रोगियों का उपचार ई.डी.एल. में उपलब्ध जेनेरिक दवाओं से किया जा सकता है! शेष रोगियों को इस प्रकिया में निम्नानुसार छूट दी जा सकती हैः-

   (अ) ऐसी बीमारियां जिनमें रोगी लंबे समय से उपचार (प्रोलांग ट्रीटमेन्ट) में कोई विशेष ब्रांडेड दवा ले रहे है उन्हें प्रिस्काइब की जा सकती हैं।

   (ब) ऐसी पेटेन्ट दवाईयां जिनका जेनेरिक विकल्प बिल्कुल उपलब्ध न हो।

   (स) टरशरी केयर में उपचाररत अथवा फांलोअप के रोगियों के लिए यदि विशेषज्ञ की राय है कि जेनेरिक विकल्प रोगियों के लिए उपयुक्त नही होगे, ऐसी स्थिति में भी पेटेन्ट दवा प्रिस्काइब की जा सकती है।

   (द) मेडिकल इमरजेन्सी की स्थिति में मरीजों को ब्रांडेड काम्बीनेशन्स लिखे जा सकते है। उक्त दवायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

2. रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सक/विशेषज्ञ को चिकित्सा संस्था प्रमुख से अनुमोदन (प्रतिहस्ताक्षरित) प्राप्त करने पर ही उपरोक्तानुसार दवा लिखने की छूट 10 प्रतिशत से अधिक रोगियों के लिए नही दी जा सकेगी। इसके रिकार्ड के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

3. ऐसे रोगी जिन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता है, वे नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगे।

4. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत उपरोक्त परिस्थितियों में लाभ दिया जा सकेगा।

5. पेंशनर्स को उपरोक्तानुसार दवाईयाँ शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2)

उल्लेखनीय है कि आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सि सर्जन, ब्लाक मेडिकल ऑफीसर बुक ऑफ फाईनेंसियल पावर वाल्यूम II में वर्णित वित्तीय अधिक के तहत औषधि उपार्जन कर सकेंगे। इसे स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट http//.health.mp.go पर देखा जा सकता हैं।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं एवं इसकी समय-स पर समीक्षा की जाये।

अपर संचालक (औ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवा
मध्यप्रदेश

भोपाल / दिनांक

पृ.क्र. / औ.प्र. / 2012 / ....

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, औषधि प्रकोष्ठ संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (प्रभारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति)।
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना)।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (औ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवा
मध्यप्रदेश

प्रभारी अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.